है। इस वर्ष 105 करोड़ रुपये का प्रावधान इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण के लिये किया गया है, हर साल 200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाये तो यह दल साल में पूरी हो सकती है। इसके पूरा होने पर यह स्थिति होगी कि अफारेस्टेशन का विकास हो जायेगा, सिंचाई की व्यवस्था हो जायेगी और पीने के पानी का स्थाई हल निकल जायेगा। अकाल का प्रभाव कम पड़ेगा। इसलिए इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। जो भी हमारे कार्य अकाल राहत के दौरान चल रहे हैं उसमें हम मेटिरियल कम्पोनेंट के लिए जोर दे रहे हैं। आज सड़कों का निर्माण हो रहा है तो ग्रेविल सड़कें नहीं बन रहीं। आज कोई भी सड़क बनायें, कोई भी बांध बनायें कोई भी काम बिना मेटिरियल कम्पोनेंट के उपयोगी नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता है कि उपयोगी कार्यों को बनाने के लिए मेटिरियल कम्पोनेंट हो। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं राष्ट्र के बारे में भी कहना चाहता हूं। त्रिपुरा के बारे में हमारे मित्र कह रहे थे कि चुनाव के समय वहां पर मिलिटरी लगा दी गई। जब मिलिटरी लगाई गई उस समय वहां की सरकार ने इसका विरोध नहीं किया, चुनाव में भी विरोध नहीं किया, किन्तु चुनाव के बाद जब परिणाम उनके खिलाफ आये तब वह कहने लगे कि यह मिलिटरी क्यों लगाई गई। वहां पर निष्पक्ष चुनाव हुए तो पहले क्यों नहीं विरोध किया, सी० पी० आई० एम० की सरकार ने क्यों नहीं तब विरोध किया था···

3.00 म० प०

इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी पार्टी जहां भी निष्पक्ष चुनाव कराना चाहती है, वहां की राज्य सरकार उसमें बाधाएं उत्पन्न करती है, व निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने देती। मैं जानता हूं कि वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं काउन्टिंग में भी गड़बड़ी नहीं हुई है। इसलिए उसके बारे में शोर मचाना व्यर्थ है।

लंका समस्या के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है, वह हमारे देश की सुरक्षा और सम्मान के हित में है। उससे हमारा विश्व में सम्मान बढ़ा है। मुझे विश्वास है कि हमारे तमिल भाई अपने हितों को समझते हुए उसमें सहयोग देंगे। भारत श्रीलंका समझौता दोनों देशों के हित में हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

———

3.01 म० प०

भूमि से भूमि तक मार करने वाले 'पृथ्वी' नामक सामरिक भारतीय प्रक्षेपास्त्र के किए गए परीक्षण के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नालाजिस्ट्स की एक महत्वपूर्ण टेक्नालाजीकल सफलता के बारे में सदन को सूचना देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उच्च टेक्नालाजी के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के हमारे कार्यक्रम में यह उल्लेखनीय सफलता है और हमारी रक्षा संबंधी तैयारी में इसका बहुत महत्व है।

आज सवेरे 11 बजकर 23 मिनट पर भारत के सर्व प्रथम भूमि-से-भूमि प्रक्षेपास्त्र "पृथ्वी"

[श्री राजीव गांधी]

का पहला सफल परीक्षण सम्पन्न हुआ है और इसमें सभी विशिष्ट बातों की कामयाबी हुई है। इस सफल परीक्षण के परिणामस्वरूप भारत उन गिने-चुने चार देशों की श्रेणी में आ गया है जिन्होंने इस तरह के भूमि-से-भूमि प्रक्षेपास्त्रों का विकास किया है। यह प्रक्षेपास्त्र पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के विकास प्रयासों पर आधारित हैं। मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इसमें किसी तरह का कोई विदेशी तकनीकी-ज्ञान अथवा सहयोग नहीं लिया गया है।

"पृथ्वी" प्रक्षेपास्त्र की 250 किलोमीटर की मारक क्षमता है और यह कई प्रकार के बड़े पेलोड वार-हेड्स उठा सकती है जो दुश्मन के ठिकानों पर भारी नुकसान कर सकते हैं। इस श्रेणी के दूसरे प्रक्षेपास्त्रों के मुकाबले इस प्रक्षेपास्त्र में वार-हेड्ज और वजन के बीच बेहतरीन अनुपात है। इस सिस्टम में अति आधुनिक इनरशियल एण्ड गाइडेन्स सिस्टम्स का उपयोग किया गया है। जिनमें रियल टाइम साफ्ट-वेयर पर काम करने वाले ऑन-बोर्ड कम्प्यूटरों का प्रयोग हुआ है। और कई आवश्यक परीक्षण कर लेने के बाद हमारी योजना "पृथ्वी" प्रक्षेपास्त्र को अधिक संख्या में रक्षा सेनाओं में शामिल करने की है।

सदन की ओर से मैं रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान के सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरो, टैक्नीशियनों और कारीगरों को बधाई देता हूं जिन्होंने "पृथ्वी" प्रक्षेपास्त्र के निर्माण और विकास में कई वर्षों तक अथक समर्पित भाव से कार्य किया है। राष्ट्र को उन पर गर्व है।

———

3.03 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[—जारी]

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुझे कई कठिनाइयां आई। जब संविधान के अनुच्छेद 78 के क्रियान्वयन के बारे में विवाद था, हमारे अध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया था कि इस सदन में भारत के राष्ट्रपति का हवाला नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के अभिभाषण की आलोचना करने का प्रयास करता है तो इसका अर्थ होगा कि सदन में भारत के राष्ट्रपति की आलोचना की गई है और चाहे यह अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये विनिर्णय का विरोध हो। लेकिन मैं मानता हूं कि विनिर्णय इतना विस्तृत नहीं होगा और कई अवसरों पर राष्ट्रपति का जिक्र करना पड़ेगा। इसलिए, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण के विभिन्न पहलुओं की आलोचना करने की स्वतंत्रता लेनी होगी। वास्तव में यह राष्ट्रपति की आलोचना नहीं की जा रही है क्योंकि भाषण का मसौदा सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। वास्तव में अभिभाषण के स्वरूप को देखकर ऐसा कहा जा सकता है।

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं तो यह सोच रहा था कि प्रो० मधु दण्डवते प्रक्षेपास्त्र के बारे में कोई अच्छी बात कहेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण को वैज्ञानिक प्रगति के मुद्दे के साथ नहीं मिलाना चाहता हूं।